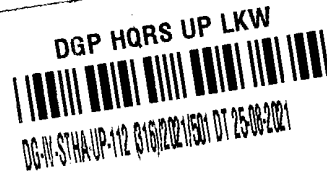


आदेश

मुख्य आरक्षी ना0पु0/872410020 अंगद सिंह को उनके स्वयं के अनुरोध पर हेपाटाइटिस (सी) और लीवर सिरोसिस रोग से ग्रसित होने तथा स्वयं की बीमारी का इलाज कानपुर रिजेन्सी से कराये जाने दृष्टिगत अनुकम्पा के आधार पर वाणिज्य कर विभाग की प्रतिनियुक्ति से मूल गहन जनपद उन्नाव वापस किया जाता है।

यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त सूची संख्या:एएसपी-(ई-1)-(अनुकम्पा)-316 /2021 दिनांक 25.08.2021 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है:-



h
25/8/21
(राहुल मिश्र)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या:डीजी-चार-स्था0-(316)/2021/501

दिनांक:अगस्त 25, 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र संख्या:एडी0कमि0(पुलिस)-मु0आरक्षी अंगद सिंह/पुलिस कर्मी/2021-22/272/वाणिज्य कर दिनांक 03.08.2021 के संदर्भ में इस अनुरोध के साथ कि उक्त मुख्य आरक्षी को तत्काल इस मुख्यालय के प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें, ताकि उसके मूल गहन जनपद उन्नाव हेतु वापस किया जा सकें।
2. पुलिस अधीक्षक, जनपद उन्नाव।
3. प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।